आवश्यक/मेल

राजस्थान सरकार

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांकः– प.2(2)आयु/2018 जयपुर, दिनांक 27 FEB 2018

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16.05.2017 द्वारा नवीन आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, योग एवं प्राकृतिक शिक्षण संस्थाओं को अनापत्ति दिये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है, को संशोधित किया जाकर निम्नानुसार संशोधित दिशा निर्देश जारी किये जाते है। यह दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगं।

आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, योग एवं प्राकृतिक शिक्षण संस्थाओं को अनापत्ति दिये जाने हेतु जारी दिशा निर्देश :–

आवेदन कर्त्ता संस्था द्वारा आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग को प्रतिवर्ष 1 अगस्त से 31 अक्टूम्बर तक निर्धारित प्रपत्र में मय निर्धारित आवेदन शुल्क सहित आवेदन आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर में स्वीकार किये जायेगें, आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित शुल्क निम्नानुसार होगा :–

1. नवीन महाविद्यालय खोलने – 1,00,000/– (अक्षरे रुपये एक लाख मात्र)
2. महाविद्यालय में प्रवेश क्षमता में अभिवृद्धि (स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में) – 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र)
3. नवीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना 50,000/– रुपये प्रति विषय (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र)

आगामी प्रतिवर्ष से यदि संस्थाऐं नियत तिथि के बाद आवेदन प्रस्तुत करती है, तो 30 नवम्बर तक नवीन महाविद्यालय खोलने के आवेदन पर रुपये 50,000/– प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु प्राप्त आवेदन पत्र रुपये 25,000/– व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु प्रति विषय रुपये 25,000/– अतिरक्त/विलम्ब शुल्क देय होगा। संस्था यदि 30 नवम्बर के बाद 31 दिसम्बर तक आवेदन प्रस्तुत करती है तो यह राशि विलम्ब शुल्क की दो गुना हो जायेगी। प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर के पश्चात् कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन कर्त्ता संस्था द्वारा उपरोक्त आवेदन शुल्क/विलम्ब शुल्क राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी जयपुर के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराया जायेगा।

आवेदन कर्त्ता द्वारा आवेदन किये जाने के पश्चात् किसी आवेदित संस्था द्वारा किन्हीं कारणों से 30 नवम्बर से पूर्व आवेदन वापस लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो आवेदन शुल्क की 50 प्रतिशत राशि लौटाई जा सकेगी तथा 30 नवम्बर पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर कोई राशि नहीं लौटाई जायेगी। स्पष्ट किया जाता है कि विलम्ब शुल्क द्वारा प्राप्त आवेदनों के संबंध में आवेदन वापस लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में कोई राशि नहीं लौटाई जायेगी।

विभाग में प्राप्त आवेदनों का निरीक्षण/सत्यापन हेतु संबंधित आयुष विधा के दो सदस्यीय दल का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :–

1. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर/राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर/राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में कार्यरत आचार्य (प्रोफेसर)/ सह–आचार्य (एसो. प्रोफेसर)/सहायक आचार्य (एसि. प्रोफेसर)/विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारी।

POONAM

2. आयुर्वेद/होम्योपैथिक/यूनानी चिकित्साधिकारी (सहायक निदेशक, उप निदेशक, अतिरिक्त निदेशक)

उक्त निरीक्षण दल संबंधित संस्थान में निम्न बिन्दुओं पर निर्धारित प्रपत्र में अपना निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा :–

1. संस्था के पास महाविद्यालय खोलने हेतु केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् (CCIM)/ केन्द्रीय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग (CCH)/राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के आवश्यक मानदंड के अनुसार भूमि की उपलब्धता। (यदि संस्था एक से अधिक पाठ्यक्रम संचालित करती है तो प्रत्येक के लिए निर्धारित मानदण्ड के अनुसार भूमि की उपलब्धता होनी आवश्यक होगी।)
2. आवेदक संस्थान/ट्रस्ट/कम्पनी के नाम नियमानुसार भूमि सम्परिवर्तन होना आवश्यक होगा।
3. आवेदक संस्था को सोसायटी/प्रन्यास अधिनियम/कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक होगा तथा कब से पंजीकृत है, का भी उल्लेख करना होगा।
4. संस्था के विधान में आयुष शिक्षण के प्रावधान का होना।
5. अधिकृत आवेदक हेतु संस्था द्वारा पारित प्रस्ताव।
6. अंकेक्षण रिपोर्ट। (गत 3 वर्षों की)
7. शैक्षणिक महाविद्यालय हेतु भवन केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् (CCIM)/ केन्द्रीय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग (CCH)/राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदण्डों के अनुरूप होना आवश्यक है। (महाविद्यालय चरणवार प्रारम्भ करने की स्थिति में महाविद्यालय भवन केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् (CCIM)/ केन्द्रीय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग (CCH) /राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा संबंधित पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित आधारभूत संरचना के न्यूनतम मापदण्डों को पूरा करता हों।)
8. शैक्षणिक चिकित्सालय आवेदन के दिनांक से एक वर्ष पूर्व से केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् (CCIM)/ केन्द्रीय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग (CCH)/ राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संचालित होना आवश्यक है।

नवीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु प्राप्त आवेदनों हेतु केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् (CCIM)/केन्द्रीय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग (CCH) के अध्यावधि मापदण्डों के आधार पर निरीक्षण कराया जाकर नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

निरीक्षण/सत्यापन की आवश्यकतानुसार उक्त निरीक्षण दल का गठन किया जायेगा। इन्हें एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। निरीक्षण दल संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने या नहीं देने बाबत् कोई टिप्पणी/अभिशंषा नहीं करेगी।

प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक संस्था के आवेदनों को प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश क्रमांक प.6(35)प्र.सु./अनु.3/2015 दिनांक 15.05.2015 द्वारा गठित समिति में इनका परीक्षण कर निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में आयोजित की जायेगी एवं समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों में कमी पाये जाने पर प्राप्त कमियों के निराकरण किये जाने के पश्चात अप्रेल माह में पुन आयोजित की जायेगी। अप्रेल माह मे भी प्रकरणों में कमी पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जयेगा। ऐसे आवेदनों जिनमें समिति की फरवरी में आयोजित बैठक में पाई गई कमियों का निराकरण अप्रेल माह में आयोजित समिति की बैठक से पूर्व नहीं होगा ऐसे आवेदनों को भी निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन निरस्त किये जाने के पश्चात् संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पुनः नवीन आवेदन तत्समय निर्धारित नियमानुसार करना होगा।

प्राथमिकता उन संस्थाओं को दी जायेगी जिनको शैक्षणिक क्षेत्र की अन्य संस्थाओं के संचालन का अनुभव होगा। जिस जिले में अभी तक कोई भी नवीन आयुर्वेद / होम्योपैथिक / यूनानी महाविद्यालय संचालित नहीं है, उस जिलें की भी प्राथमिकता दी जावेगी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र आगामी तीन शैक्षणिक सत्रों की अवधि के लिए निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जावेगा।

संबंधित संस्थाओं को केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् (CCIM) / केन्द्रीय होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् (CCH) / राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से निर्धारित अवधि में आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होगी। निर्धारित अवधि में अनुमति प्राप्त न होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जावेगा, पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक संस्था को तत्समय निर्धारित नियमानुसार पुनः आवेदन करना होगा।

बी.एस.सी. आयुष नर्सिंग के लिये डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के न्यूनतम आवश्यक मापदण्डों के अनुसार पूर्ति करने पर विचार किया जाएगा। इस हेतु पूर्व में आवेदन शुल्क निर्धारित नहीं होने के कारण वर्तमान वर्ष 2017–18 में भी नवीन आयुष महाविद्यालयों हेतु आवेदन शुल्क के समान राशि लिया जाकर नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर विचार किया जाएगा। पूर्व में प्राप्त आवेदनों हेतु आवेदक संस्थाओं द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क प्राप्त होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कार्यवाही की जाये।

डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग (DAN&P) की वर्तमान में 29 आयुष नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र पहले से संचालित है तथा सभी संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों में विगत कुछ वर्षो से अधिकांश सीटे रिक्त रहने के कारण डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग (DAN&P) हेतु नवीन आवेदन अग्रिम आदेशों तक स्वीकार नहीं किये जाये।

संस्थाओं को अनापत्ति पत्र जारी किये जाने का अन्तिम निर्णय राज्य सरकार के निर्णय अधीन होगा।

आज्ञा से

(कुन्दन कुमार माथुर)
उप शासन सचिव